## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच अनापति प्रमाण पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 8547-23 दिनांक 14/03/2023 के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए दिनांक 14/03/2023 को बेसिक शिक्षा परिषद के एस॰ डी॰ वर्ड इंटर कॉलेज, मोहम्मद नगर, चितौरा, बहराइच को स्थाई मान्यता प्रदान की गयी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली को सीनियर सेकेंडरी लेवल की (IX & XI) मान्यता हेतु पत्रावली प्रेषितः करने में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शाशन को कोई आपित नहीं है।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.

बहराइच

पत्रांक संख्या 8547-23

प्रतिलिपि-

दिनांक: 14/03/2023

प्रबंधक,एस॰ डी॰ वर्ड इंटर कॉलेज, मोहम्मद नगर, चितौरा, बहराङ्का orld Inter

994

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

रोवा में

प्रबन्धक,

शान्ति यादव इ० का०

नोहम्बदनगर चित्तीश उहराइच

पत्रांक - आई०वी० / मान्यता / 37-

दिनांक-01-04-2016

विषय :- इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में। महोदय

शासन ने मान्यता समिति एवं समापति, गाध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा—7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष— 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नुवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा—7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

## सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्ड्यमीडिएट शिक्षा (रासीयन) जिथिनियन, 1887 की घार्स हार की प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रवत्त मान्यता को तावी कहा, संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रवस्थ की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज संज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, मूमि/भवन, पुरतकालय, प्रामृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक रियति और अन्य प्रतिबद्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यवा-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रिजस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार-एक योग्य-प्रधानानार्थ/प्रधानानार्था की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरगीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संवादित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण् द्वारा स्वयं वहनं किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनयम, 1987 की धारा—रक(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।



anage

## विशेष प्रतिबन्ध

संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना / प्रमाण गलन (ab) अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यत निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की (ख) सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप 😑

उपलब्द करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू० । ७००० > (रू० ५०००=०० एवं रूपये ३०००=०० प्रति (ग) वर्ग / प्रति विषयं की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम ने बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के गाध्यम से भेजे।

यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्याँ-25/2006 नेजू (ET) अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखित किये जाने वाले क्लीयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

प्रदृत्त मान्यता का विवरण

अभिवार्य द्विषय देकल्पिक विषय

टर भानविकी वर्ग नवीन साहिछ हिन्दी अंग्रेजी, संभाजशास्त्र, सर्वू, नागरिकशास्त्र, मूगोल, गृहविज्ञान, शिद्याशास्त्र, इतिहास एवं कला

उक्त पत्र में अकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(क) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

THE PERSON STREET, STR

कामता रोम पाल) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वासमस दिगांक-

指码。在20% 50%的,GBC 4360个 500 पृष्ठांकन सं०- आई०वी०/मान्यता/

प्रतिलिपि निम्बलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित =

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालयं, इलाहाबाद।

the state of the party of the state of

प्रवाही हाम होते हैं है है है है है है है

संगागीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक, देवीपाटन।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच।

इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुमाग वासगरी को अमिलेख हेतु।

THE SHARES



अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी

